[2022] 18 एस. सी. आर 407

संध्या पंत

वी.

दीपाक रुवाली और ओआरएस।

(2022 की सिविल अपील संख्या 5238)

11 अगस्त, 2022

[इंदिरा बनर्जी और जे. के. माहेश्वरी, जे. जे.]

ट्रस्ट और दानः मंदिर के शेबैत अधिकार-अपीलकर्ता और प्रतिवादी संख्या 7 से 10-चीताई गोलू देवता के वंशज/संस्थापक, मंदिर के शेबैत के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए-प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा लिखित याचिका जिसमें प्रतिवादी अधिकारियों को एक पंजीकृत सोसायटी या प्रबंधन के लिए ट्रस्ट का गठन करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

मंदिर का-निपटाया गया, अपीलार्थी को सुने बिना और अभियोग के लिए अपीलार्थी के आवेदन पर निर्णय लिए बिना

हस्तक्षेप-आयोजितः नहीं बुलाया गया-चीताई गोलू देवता मंदिर का प्रशासन अपीलार्थी और उत्तरदाताओं द्वारा किया जाता है

यह स्पष्ट करें कि चिताई गोलू देवता मंदिर के संबंध में परिवार के कौन से उत्तराधिकारी अधिवास अधिकारों के हकदार हैं और इस संबंध में परिवार के सदस्यों के बीच विवाद प्रतीत होते हैं-इसके अलावा, चिताई गोलू देवता मंदिर को नियंत्रित करने वाला कोई विशिष्ट क़ानून-जहां तक अभियोग के मुद्दे का संबंध है, अदालत का ध्यान अपीलार्थी के लंबित अभियोग आवेदन की ओर नहीं खींचा गया था-अपीलार्थी उपस्थित हो सकती थी और प्रस्तुतियाँ कर सकती थी यदि उसने ऐसा चुना होता, तो भी पक्षकार के रूप में जोड़े बिना-किसी भी मामले में, 10 के प्रत्यर्थी सहित परिवार के अन्य सदस्य, जो अपीलार्थी के अनुसार उस मंदिर समिति में थे जिसमें अपीलार्थी को उपाध्यक्ष होने का दावा करने का विधिवत अवसर दिया गया था।

इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश-कार्यान्वयन पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाः 1.1 तिरुवनंतपुरम में पद्मनाभस्वामी मंदिर के प्रबंधन के पारंपरिक तरीके और तरीके में अंतर है, जिसके संबंध में प्रबंधन का अधिकार त्रावणकोर के शासक और अपीलार्थी और प्रत्यर्थियों द्वारा प्रशासित चितई गोलू देवता मंदिर के पास निहित है। जो भी हो, पद्मनाभस्वामी मंदिर के मामले में भी, न्यायालय ने निम्नलिखित शर्तों के अनुसार गठित मंदिर समिति को निहित कियाः

इसका आदेश, त्रावणकोर के शासक के प्रबंधन की सभी शक्तियों के साथ। [पैरा 42] [424-ए-बी]

1.2 तत्काल मामले में, यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि कौन सा

पंत परिवार के उत्तराधिकारी चितई गोलू देवता मंदिर के संबंध में संरक्षक अधिकार के हकदार हैं और विवाद प्रतीत होते हैं। इस संबंध में पंत परिवार के सदस्यों के बीच। चिताई गोलू देवता मंदिर को नियंत्रित करने वाला कोई विशिष्ट कानून नहीं है। [पैरा 43,45] [424-सी; 425-एच]

1.3 उच्च न्यायालय ने पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की है

विवादित आदेश। एकमात्र सवाल यह है कि क्या आदेश अपीलार्थी की अनुपस्थिति में, अपीलार्थी के आवेदन पर निर्णय लिए बिना पारित किया जाना चाहिए था। निर्णय और आदेश के अवलोकन पर, ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि किसी ने न्यायालय का ध्यान लंबित अभियोग आवेदन की ओर आकर्षित किया

अपीलार्थी। अपीलार्थी उपस्थित हो सकती थी और प्रस्तुतियाँ दे सकती थी यदि उसने ऐसा चुना होता, भले ही उसे पक्षकार के रूप में शामिल नहीं किया गया होता। किसी भी मामले में, प्रतिवादी Nos.7 से लेकर 10 तक सहित पंत परिवार के अन्य सदस्य, जो अपीलार्थी के अनुसार मंदिर समिति में थे, जिसके उपाध्यक्ष होने का दावा करने वाले अपीलार्थी को विधिवत सुनवाई का अवसर दिया गया था। विवादित निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। [पैरा 46] [426-ए-सी]

गोस्वामी श्री महालक्ष्मी वाहूजी बनाम। रणछोड़दास

कालिदास और ओआरएस। (1969) 2 एससीसी 853: [1970] 2 एससीआर

275 ; जगदीश प्रसाद बनाम। महांत त्रिभुवन पुरी (1987) मान लीजिए एससीसी 482: 1987 (4) जे. टी. 509; श्री मार्तण्ड वर्मा

एन. आर. वी. केरल राज्य और अन्य। (2021) 1 एससीसी 225: [2020]

समिति और एक अन्य वी। सी. के. राजन और अन्य (2003) 7 एससीसी 546: [2003] 2 पूरक। एससीआर 619-संदर्भित

को।

मामला कानून संदर्भ

[1970] 2 एससीआर 275

संदर्भित किया गया।

पै

रा 34

[2020] 9 एससीआर 974

संदर्भित किया गया।

पै

रा 40

[2003] 2 पूरक। एससीआर 619

संदर्भित किया गया।

पैरा 44 संध्या पंत बनाम। दीपाक रुवाली और ओआरएस।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 5238

2022 तक।

2018 के डब्ल्यू. पी. (पी. आई. एल.) संख्या 131 में नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के दिनांकित 19.11.2020 के निर्णय और आदेश से।

के साथ 2022
की सिविल अपील संख्या 5239

निधेश गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता। , वी. के. शुक्ला, सुगम मिश्रा, जयंत भट्टाचार्य, सुश्री साकेत गौतम, सुश्री बीना, सतीश कुमार, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

सुश्री रचना श्रीवास्तव, सुश्री वंशजा शुक्ला, आशुतोष शर्मा, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

इंदिरा बनर्जी, जे.

छुट्टी दे दी गई।

2. ये अपीलें उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा 19 नवंबर 2020 को पारित अंतिम फैसले और आदेश के खिलाफ हैं।

जनहित याचिका 2018 की रिट याचिका (पी. आई. एल.) No.131 है, जो अपीलार्थी की सुनवाई किए बिना और यह तय किए बिना कि अपीलार्थी का आवेदन 2020 का सी. एल. एम. ए. No.7758 है, उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। 3. अपीलार्थी के अनुसार, अल्मोड़ा में चितई गोलू देवता मंदिर का निर्माण 1919 में स्वर्गीय पंडित केशव दत्त पंत और स्वर्गीय भोला द्वारा किया गया था

दत्त पंत। ग्राम सभा के ग्राम प्रधान चिताई खस्पारजा तहसील अल्मोड़ा द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट के अनुसार, मंदिर में मूल अधिकार स्वर्गीय जयकिशन पंत के पास निहित थे। अपीलार्थी उसकी पुत्रवधू है। उक्त जयकिशन पंत के वंशज स्वर्गीय चतुरानन पंत। अपीलार्थी 2012 में गठित मंदिर समिति का उपाध्यक्ष होने का दावा करता है। ग्राम सभा, चिताई के ग्राम प्रधान की 8 सितंबर 1976 की उक्त रिपोर्ट की एक अनुवादित प्रति पेपरबुक के साथ संलग्न है।

4. अपीलार्थी के अनुसार, चीताई गोलू के शेबैट अधिकार

देवता मंदिर निम्नानुसार हैंः

2] 18 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

लेट श्री जयकिशन पंत

(एक पेड़ के नीचे भगवान गोलू देवता की पूजा शुरू की)

देर से हरिबलाब पंत

लेट लक्ष्मी कान्ट पान्ट

लेट शिव शंकर पंत

लेट प्रेम बल्लब पंत

स्वर्गीय परमानंद पंत

देर से केशव दत्त पंत देर से भोला दत्त पंत

लेट गंगादूत पेंट

(1919 में मंदिर की स्थापना/निर्माण) लेट गवर्नमेंट बल्लब पंत

लेट हरी डट पंत

लेट चटर्नांड पेंट

देर से दामोदर पंत

(रेस। Nos.7 से 10 यहाँ)

लेट नैलिन पेंट

श्रीमती. संध्या पंत (डब्ल्यू/ओ स्वर्गीय श्री नलिन पंत अपीलार्थी)

5. सरकार द्वारा जारी अध्यादेश No.16 के अनुपालन में

उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 अक्टूबर 1986 को उत्तर प्रदेश हिंदू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान (संपत्ति के प्रसार की रोकथाम) अधिनियम 1962 का विस्तार करते हुए, चतुरानन पंत ने मृतक होने के बाद से वैधानिक रूप में चितई गोलू देवता मंदिर के पंजीकरण के लिए आवेदन किया था। उक्त रूप में यह कहा गया था कि चितई गोलू देवता मंदिर एक सार्वजनिक मंदिर नहीं है,

उक्त अधिनियम के प्रावधान चितई गोलू देवता मंदिर पर लागू नहीं हो सकते हैं।

6. 29 अक्टूबर 1985 को या उसके आसपास, सभी तीन मुख्य मूर्तियाँ

मंदिर को पुरावशेष और कला खजाना नियमों के तहत पंजीकृत किया गया था।

1973 अपीलार्थी के ससुर स्वर्गीय चतुरानन पंत के नाम पर।

7. अपीलार्थी ने कहा है कि स्वर्गीय चतुरानन की मृत्यु के बाद

पंत, उनके बेटे नलिन पंत, मृतक के बाद से, अपीलार्थी के पति ने परिवार के अन्य सदस्यों, यानी प्रतिवादी संख्या के साथ मंदिर का प्रबंधन संभाला। 7 10 तक, जो स्वर्गीय दामोदर पंत के पुत्र हैं। अपने पति नलिन पंत की मृत्यु के बाद, अपीलार्थी ने कदम रखा उसके जूतों में।

8. 5 जून 2015 को, अपीलार्थी और प्रत्यर्थी Nos.7 से 10

आई. डी. बी. आई. बैंक में गोलू संध्या पंत बनाम के नाम से बचत बैंक खाता खोला।

दीपाक रुवाली और ओआरएस। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

देवता मंदिर समिति, चिताई, अल्मोड़ा। यह दावा किया जाता है कि रु। उक्त खाते में 8 लाख 56 हजार रुपये जमा हैं। 9. प्रतिवादी नंबर 1, दीपक रुवाली, एक अधिवक्ता और सामाजिक कार्य में लगे नैनीताल के निवासी, ने जनहित में एक रिट याचिका दायर की, जो डब्ल्यू. पी. थे। (पी. आई. एल.) 2018 का No.131, जिसमें मंदिर के प्रबंधन के लिए एक पंजीकृत सोसायटी या ट्रस्ट का गठन करने के लिए प्रत्यर्थी अधिकारियों को निर्देश देने के लिए एक रिट ऑफ मैंडमस की मांग की गई है।

10. अपीलार्थी के अनुसार, आशुतोष पंत, श्रीमती. लज्जा पंत, एस. परितोष पंत और अपीलार्थी के परिवार के अन्य सदस्यों ने

11. 11 सितंबर 2018 को, आशुतोष पंत और परिवार के अन्य सदस्यों ने सोसायटी पंजीयक, अल्मोड़ा और जिला मजिस्ट्रेट, अल्मोड़ा के समक्ष आपत्तियां दायर कीं, जिन्हें इसके बाद "जिला मजिस्ट्रेट" के रूप में संदर्भित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि आपत्तियों पर पहले विचार किया जाना चाहिए। मंदिर समिति और अन्य व्यक्तियों का पंजीकरण मंदिर समिति में शामिल किया जा सकता है।

12. 18 सितंबर 2018 को जिला मजिस्ट्रेट ने की गई शिकायत की जांच के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया।

अपीलार्थी के समक्ष केवल आशुतोष पंत, परितोष पंत, वसुधा पंत और लज्जा पंत को बैठक में बुलाया गया था। अपीलार्थी का कहना है कि अपीलार्थी और प्रतिवादी Nos.7 से 10 तक जो मंदिर के शेबैत के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे, उन्हें बैठक के लिए नहीं बुलाया गया था। 13. 8 अक्टूबर 2018 को, जिला मजिस्ट्रेट ने जागेश्वर मंदिर समिति जैसी मंदिर समिति के गठन के लिए आशुतोष पंत और अन्य के प्रतिनिधित्व की अनुमति दी।

14. 30 नवंबर 2018 को जिला मजिस्ट्रेट ने अपना जवाब दाखिल किया।

उच्च न्यायालय में जनहित याचिका (पी. आई. एल.)। 7 जनवरी 2020 को आशुतोष पंत की पत्नी वसुधा पंत ने एक हस्तक्षेप दायर किया। पी. आई. एल. में आवेदन जिसे 2018 का सी. एल. एम. ए. No.285 नंबर दिया गया था। आवेदन को 10 जनवरी 2020 के एक आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी।

2] 18 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

15. 27 फरवरी 2020 को, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने प्रत्यर्थी Nos.7 को शामिल करने के लिए एक आवेदन 10 पर स्थानांतरित कर दिया, लेकिन इसमें शामिल नहीं किया गया। अपीलार्थी जो मंदिर समिति का उपाध्यक्ष होने का दावा करता है।

16. अपीलार्थी के अनुसार, प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दायर रिट याचिका की एक प्रति प्रत्यर्थी संख्या 1 पर दी गई थी। 7 10 से 1 पर

मार्च 2020। हालाँकि, 4 मार्च 2020 के एक आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या दिए बिना जनहित याचिका का निपटारा कर दिया। 7 10 को अपना जवाब दाखिल करने का कोई भी अवसर। हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

प्रत्यर्थी सं. 6 जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट पर विचार करेगा और मंदिर की गैर-धार्मिक गतिविधियों के प्रशासन के लिए एक स्वतंत्र प्रबंधन समिति के गठन के लिए निर्णय लेगा।

उच्च न्यायालय में, जनहित याचिका में पारित 4 मार्च 2020 के उक्त आदेश की समीक्षा की मांग की गई। जबकि समीक्षा आवेदन लंबित था 4 जुलाई 2020 में जिला मजिस्ट्रेट ने 9 जुलाई 2020 को मंदिर की एक नई प्रबंधन समिति का गठन किया।

दिनांक 4 मार्च 2020 और अपीलार्थी को डिवीजन बेंच के समक्ष एक आवेदन भेजना चाहिए। 5 अगस्त 2020 को, अपीलार्थी ने एक विशेष याचिका दायर की एकल न्यायाधीश द्वारा 2020 की रिट याचिका (एम/एस) No.1096 को खारिज करते हुए पारित 27 जुलाई 2020 के आदेश के खिलाफ 2020 की अपील संख्या 140।

19. 16 सितंबर 2020 के एक आदेश द्वारा, डिवीजन बेंच ने 2020 के सी. एल. एम. ए. No.4534 द्वारा दायर एक आवेदन को अनुमति दी। उत्तरदाता Nos.7 से 10 तक और 4 मार्च 2020 के अपने आदेश को वापस ले लिया। में।

16 सितंबर 2020 के आदेश के अनुसार, अपीलार्थी द्वारा दायर 2020 की विशेष अपील संख्या 140 निष्फल हो गई और तदनुसार 18 सितंबर 2020 को इसका निपटारा कर दिया गया। हालाँकि, अपीलार्थी द्वारा दायर 2020 का एम. सी. सी. <आई. डी. 1 होने के कारण समीक्षा आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि यह किसी तीसरे पक्ष द्वारा दायर किया गया था, जो कार्यवाही में पक्षकार नहीं था।

संध्या पंत बनाम। दीपाक रुवाली और ओआरएस। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

21. 22 सितंबर 2020 को, अपीलार्थी ने दायर जनहित याचिका में 2020 का सी. एल. एम. ए. No.7758 होने के लिए एक आवेदन दायर किया। प्रत्यर्थी संख्या 1. अभियोग के लिए उक्त आवेदन पर सूचीबद्ध किया गया था

सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, 2020 में अलग-अलग तिथियां थीं, लेकिन उन पर सुनवाई या निर्णय नहीं हुआ था। 19 नवंबर 2020 के विवादित फैसले और आदेश द्वारा, खंड पीठ ने अपीलार्थी द्वारा दायर अभियोग पर निर्णय लिए बिना जनहित याचिका का निपटारा कर दिया।

22. विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, खंड पीठ ने जनहित याचिका का निपटारा करते हुए प्रबंध को निर्देश दिया

उच्च न्यायालय के दिनांक 04.03.2020 के आदेश के अनुसार गठित समिति ने यह देखते हुए जारी रखा कि मंदिर में शेबेट अधिकारों के संबंध में गंभीर विवाद थे। अपीलार्थी के अनुसार, विवादित निर्णय और आदेश अपीलार्थी को सुने बिना पारित किया गया था। उच्च न्यायालय ने कहा और अभिनिर्धारित कियाः

" 11. प्रत्यर्थी का दावा सं। 5 8 को केवल एक गंजा दावा या अभिवचन नहीं कहा जा सकता है, न कि तथ्यों द्वारा समर्थित। उन्होंने अपनी रुचि साबित करने के लिए पर्याप्त सामग्री का उत्पादन किया है। उनके द्वारा उत्पादित सामग्री 100 साल से अधिक पुरानी है। ये दस्तावेज वैध हैं, उपयुक्त हैं या नहीं, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत किसी कार्यवाही में तय नहीं किया जा सकता है। ये ऐसी सामग्री हैं जिनका एक उपयुक्त दीवानी अदालत में परीक्षण और साबित किया जाना है। अतः यह अभिनिर्धारित करना पर्याप्त है कि प्रत्यर्थी का दावा सं। 5 8 तक प्रथम दृष्टया हैं

सामग्री द्वारा समर्थित और इसलिए, एक तरफ ब्रश नहीं किया जा सकता है। उत्तरदाताओं द्वारा उत्पादित सामग्री की आवश्यकता है

उनके द्वारा एक अदालत में साबित किया गया।

12. इसलिए, प्रतिद्वंद्वी दलीलों और उपलब्ध सामग्री पर विचार करते हुए, हमारा विचार है कि ये ऐसे मामले नहीं हैं जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत जनहित याचिका में निर्धारित किया जा सकता है। वहाँ।

गंभीर अधिकार हैं जिन्हें पहले आंदोलन करना पड़ता है

उपयुक्त मंच। पक्षों के अधिकार [2022] 18 एस. सी. आर. नहीं हो सकते।

उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज और भूमि की स्थिति आदि के संबंध में राज्य का रुख अधिकार और हित के विवाद के गंभीर मामले हैं। केवल वही हो सकता है के माध्यम से एक उपयुक्त दीवानी अदालत के समक्ष निर्धारित किया गया

पर्याप्त सबूत, या अन्यथा। यह किसी को भी इस तथ्य को स्थापित करना है कि यह वही हैं जिनकी मंदिर में रुचि या अधिकार है। इसलिए इस न्यायालय के लिए न केवल याचिकाकर्ता द्वारा बल्कि प्रत्यर्थी संख्या द्वारा भी दायर किए गए हलफनामे के आधार पर कोई निष्कर्ष दर्ज करना उचित नहीं है। 5 8 के साथ-साथ राज्य को रखने के लिए

कि भूमि राज्य की है या नहीं, चाहे प्रत्यर्थी Nos.5 से 8 तक का अधिकार हो या नहीं, चाहे मंदिर के धन का दुरुपयोग किया गया हो या नहीं, आदि। ये हैं सभी मुद्दे

केवल एक पूर्ण परीक्षण के माध्यम से निर्धारित किया जाए।

13. इस मंदिर से आकर्षित होने वाले भक्तों की संख्या के परिमाण के तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यह हाल ही में बनाया गया मंदिर नहीं है। यह सभी के लिए निर्विवाद है कि यह एक बहुत प्राचीन मंदिर है जो लाखों लोगों को आकर्षित करता है।

हर साल भक्त। देवता में अकल्पित विश्वास को हटा दिया जाता है, जनता की भावनाएं भी ऐसे मुद्दे हैं जिन पर न्यायालय द्वारा नाजुक तरीके से विचार किया जाना चाहिए। ये केवल व्याख्या के मामले नहीं हैं

कानून जिसकी मांग की जाती है। भक्तों के संवेदनशील अधिकारों के साथ-साथ व्यक्तियों के शेबेट अधिकारों आदि का प्रयोग करने के अधिकारों पर बारीकी से विचार किया जाना चाहिए। इसलिए यह न्यायसंगत और उचित है कि यह न्यायालय कोई भी अनुमति देने से बचता है।

घोषणा कि वास्तविक व्यक्ति कौन है जिसे शेबेट अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार है या नहीं आदि। इसलिए हम खुला छोड़ देते हैं। एक उपयुक्त नागरिक के समक्ष निर्धारण के लिए प्रश्न

अदालत। जो भी पक्ष मंदिर या मंदिर से संबंधित किसी अन्य अधिकार से संबंधित शेबैट अधिकारों या किसी अन्य अधिकार पर अपने अधिकारों का दावा करता है, वह आवश्यक राहत के लिए दीवानी अदालत का दरवाजा खटखटाने का हकदार है। उन्हें स्थापित करना होगा और सफल होना होगा

उनके पक्ष में कोई डिक्री प्राप्त करने के लिए निचली अदालत के समक्ष।

23. प्रत्यर्थी की ओर से एक जवाबी हलफनामा दायर किया गया है जिसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय के निर्देश संध्या पंत बनाम के अनुसार।

दीपाक रुवाली और ओआरएस। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

और जाँच समिति के निष्कर्षों के अनुसार, जिला मजिस्ट्रेट ने निम्नलिखित सदस्यों के साथ एक मंदिर प्रबंधन समिति बनाने का प्रस्ताव रखाः

(i) जिला मजिस्ट्रेट, अल्मोड़ा अध्यक्ष के रूप में

उप-मंडल मजिस्ट्रेट, अल्मोड़ा उपसभापति के रूप में

((ख)

(iii) मुख्य खजांची, अल्मोड़ा पदेन सदस्य के रूप में

£ (iv) जिला पर्यटन विकास अधिकारी पदेन सदस्य के रूप में (v) प्रबंधक/प्रबंधक, चितई गोलू देवता मंदिर समिति सदस्य के रूप में

£ (vi) सदस्य के रूप में पुजारी का प्रतिनिधि ((vii) विशेष रूप से आमंत्रित सदस्य।

मंदिर के विकास के लिए और पुजारियों के साथ दान साझा करने के लिए उपनियम बनाएँ। यह समिति मंदिर परिसर में या उसके आसपास स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पेयजल और स्वच्छता से संबंधित सुविधाओं का विकास करके धार्मिक पर्यटन को विकसित करने के लिए भी काम करेगी। 25. यह आगे कहा गया है कि राज्य ने केवल मंदिर के गैर-धार्मिक मामलों के प्रबंधन के लिए समिति का गठन किया है। पंत परिवार/अपीलार्थी और प्रतिवादी Nos.7 से 10 तक अपने संस्कार, परंपरा और आंतरिक व्यवस्था के अनुसार मंदिर में 'पूजा' करना जारी रखे हुए हैं।

4 मार्च 2020 के उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, जिला मजिस्ट्रेट को जागेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति की तर्ज पर चितई गोलू देवता मंदिर की समिति का गठन करने का निर्देश दिया गया। 27. 4 जुलाई 2020 को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मंदिर प्रबंधन समिति के गठन के लिए एक न्यास विलेख निष्पादित किया गया था।

मंदिर के प्रबंधन, प्रशासन और शासन का उद्देश्य। न्यास विलेख उप-पंजीयक कार्यालय, अल्मोड़ा के कार्यालय में विधिवत पंजीकृत था।

28. 6 जुलाई 2020 को जिला मजिस्ट्रेट ने मंदिर प्रबंधन समिति के सदस्यों की एक बैठक बुलाई। तय कियाः

2] 18 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

((i)

भक्तों के लिए शौचालय बनाए जाएंगे।

मंदिर में पार्किंग की जगह में सुधार किया जाएगा।

((ख)

(iii)

वर्षा जल संचयन के लिए एक टंकी का निर्माण किया जाएगा।

(iv) उप-मंडल मजिस्ट्रेट मंदिर में पुजारी के प्रतिनिधि की नियुक्ति के लिए कार्यवाही शुरू करेंगे।

समिति।

(v)

उप-मंडल मजिस्ट्रेट प्रबंधक की नियुक्ति करेंगे

जागेश्वर मंदिर में अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार मंदिर समिति।

29. 8 जुलाई 2020 को उप-मंडल मजिस्ट्रेट ने मंदिर परिसर में एक जनसभा का आयोजन किया जिसमें उन्होंने भाग लिया।

प्रबंधन और मंदिर को प्लास्टिक मुक्त बनाना। यह भी निर्णय लिया गया कि स्व-रोजगार पैदा करने के लिए कार्रवाई की जाएगी, विशेष रूप से स्थानीय कुमाऊं महिलाओं ने स्थानीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देकर, स्थानीय स्रोत से बने फलों से बने जैविक 'प्रसाद' की बिक्री, 'प्रसाद' ले जाने के लिए पर्यावरण के अनुकूल थैले और एक पुस्तकालय भी विकसित किया। तीसरा, यह निर्णय लिया गया कि मंदिर में एक बजट धर्मशाला, सीसीटीवी कैमरे, मैरिज हॉल, आरती का सीधा प्रसारण करने की व्यवस्था की जाएगी। अगली बैठक 23 जुलाई 2020 को हुई। मंदिर के प्रबंधक की नियुक्ति और बैंक खाता खोलने के संबंध में निर्णय लिया गया।

31. 19 नवंबर 2020 के विवादित फैसले और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने पक्षों द्वारा दायर हलफनामों के आधार पर प्रबंधन में उन लोगों द्वारा धन के दुरुपयोग या धन के दुरुपयोग पर कोई भी निष्कर्ष दर्ज करने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि कोई भी व्यक्ति जो अधिकार, अधिकार या अधिकार का दावा करता है, वह मई 2021 से पहले मुकदमा दायर कर सकता है। 4 मार्च 2020 के उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार गठित स्वतंत्र प्रबंधन समिति को जारी रखने का निर्देश दिया गया था, जब तक कि किसी दीवानी मुकदमे में कोई आदेश/अंतरिम आदेश आवेदन दायर नहीं किया गया था।

32. राज्य की ओर से, यह प्रस्तुत किया गया था कि, चितई गोलू देवता मंदिर के महत्व और पवित्रता को देखते हुए, और आशुतोष पंत और अन्य लोगों से प्राप्त कुप्रबंधन का आरोप लगाने वाले एक पत्र को देखते हुए पास के गाँव के निवासियों, जिला मजिस्ट्रेट ने एक गठन किया था

33. राज्य की ओर से यह भी तर्क दिया जाता है कि चितई गोलू देवता मंदिर एक सार्वजनिक मंदिर है और राज्य इसके गैर-कानूनी प्रावधानों को विनियमित कर सकता है। धार्मिक मामले। जैसा कि उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया है, मंदिर में हजारों लोग आते हैं और जिस तरह से गैर-धार्मिक मामलों का प्रबंधन किया जाता है, वह कार्यकारी नियंत्रण के दायरे में आता है। मंदिर द्वारा प्राप्त धन का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है और इसका उपयोग मंदिर निर्माण के लिए किया जाना चाहिए।

मंदिर का विकास और मंदिर आने वालों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए।

34. राज्य की ओर से फैसले पर निर्भरता रखी गई है

गोस्वामी श्री महालक्ष्मी वाहूजी बनाम में इस न्यायालय का। रणछोड़दास कालिदास और Ors.[1] जहाँ इस न्यायालय ने मानदंड निर्धारित किए निजी मंदिर और सार्वजनिक मंदिर के बीच अंतर करना। इस न्यायालय ने कहाः

" 15. हालाँकि वर्तमान समय के अधिकांश हिंदू सार्वजनिक मंदिरों की स्थापना सार्वजनिक मंदिरों के रूप में की गई है, लेकिन समय के साथ निजी मंदिरों के सार्वजनिक मंदिर बनने के उदाहरण हैं। कुछ निजी मंदिरों ने बहुत कुछ हासिल किया है।

धार्मिक प्रतिष्ठा या तो इसकी श्रेष्ठता के कारण

संस्थापक या अन्य परिस्थितियों के कारण। उनके पास है।

बड़ी संख्या में भक्तों को आकर्षित किया। धीरे-धीरे समय के साथ वे सार्वजनिक मंदिर बन गए हैं। सार्वजनिक मंदिर आम तौर पर जनता द्वारा बनाए या बनाए जाते हैं और देवता को जनता के सदस्यों या उसके एक वर्ग को सक्षम बनाने के लिए स्थापित किया जाता है।

1 (1969) 2 एससीसी 853 [2022] 18 एस. सी. आर.

पूजा-अर्चना करें। ऐसी स्थिति में मंदिर स्पष्ट रूप से एक सार्वजनिक मंदिर होगा। यदि किसी मंदिर की उत्पत्ति एक सार्वजनिक मंदिर के रूप में साबित होती है, तो यह दिखाने के लिए और कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि यह एक सार्वजनिक मंदिर है, लेकिन यदि किसी मंदिर की उत्पत्ति एक निजी मंदिर के रूप में साबित होती है या इसकी उत्पत्ति अज्ञात है या प्राचीन काल में खो जाती है, तो यह दिखाने के लिए सबूत होना चाहिए कि इसका उपयोग एक सार्वजनिक मंदिर के रूप में किया जा रहा है। ऐसे मामलों में विशेष मंदिर का वास्तविक स्वरूप विभिन्न आधारों पर तय किया जाता है -

परिस्थितियाँ। उन मामलों में अदालतों को संबोधित करना पड़ता है

स्वयं विभिन्न प्रश्नों के लिए जैसे किः

" (1) क्या मंदिर इतने प्रभावशाली तरीके से बनाया गया है कि यह हो सकता है

प्रथम दृष्टया सार्वजनिक मंदिर प्रतीत होता है?

(2) क्या जनता के सदस्य उस में पूजा करने के हकदार हैं?

दाहिनी ओर मंदिर;

(3) क्या मंदिर के खर्च की पूर्ति किए गए योगदान से की जाती है?

जनता के लिए?

(4) क्या मंदिर में आयोजित सेवा और उत्सव आम तौर पर सार्वजनिक मंदिरों में आयोजित किए जाते हैं?

(5) क्या प्रबंधन के साथ-साथ श्रद्धालु भी इलाज कर रहे हैं?

वह मंदिर एक सार्वजनिक मंदिर के रूप में?

35. चीताई गोलू देवता मंदिर ने प्रसिद्धि हासिल की है, हजारों भक्तों द्वारा वर्षों से देखा जाता है और इसे एक सार्वजनिक मंदिर माना जा सकता है। भक्त अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं और घंटी बजाते हैं जो हैं -

मंदिर में लटका दिया। इसके अलावा, जिस भूमि पर मंदिर स्थित है, साथ ही मंदिर के आसपास की भूमि राज्य की है। जैसा कि राज्य की ओर से तर्क दिया गया था, एक स्वतंत्र प्रबंध की नियुक्ति

मंदिर के प्रबंधन के लिए समिति एक धर्मनिरपेक्ष मामला है और इसे राज्य द्वारा विनियमित किया जा सकता है। जगदीश प्रसाद बनाम। महांत त्रिभुवन पुरी 2, इस न्यायालय ने निर्णय दियाः

" 6. हमने दोनों पक्षों के वकीलों को सुना और इस अपील में उठाए गए विभिन्न प्रश्नों पर भी चिंता से विचार किया। हमारा

विचार है कि उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष कि राम मंदिर एक सार्वजनिक मंदिर है, सही है और इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, उच्च न्यायालय नहीं गया है

2 (1987) मान लीजिए एस. सी. सी. 482 संध्या पंत बनाम।

दीपाक रुवाली और ओआरएस। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

मुकदमे में उठाए गए अन्य प्रश्नों के बारे में

मंदिर का कुप्रबंधन और व्यक्तियों का मंदिर के संरक्षक के रूप में कार्य करने का अधिकार। जिस दृष्टिकोण से हम लेने का प्रस्ताव करते हैं, हो सकता है कि इन सभी प्रश्नों में जाना आवश्यक न हो। राम मंदिर को सार्वजनिक मंदिर घोषित किया गया है। किसी भी व्यक्ति को विशेष रूप से मंदिर का प्रबंधन करने का अधिकार प्रदान करने वाला कोई विलेख नहीं है। प्रबंधन के अधिकार के लिए एक प्रतिद्वंद्वी दावा है। इसलिए, प्रबंधन के लिए एक योजना तैयार करना उचित होगा। इसलिए हम जिला न्यायाधीश को निर्देश देते हैं कि

मंदिर के उचित प्रबंधन के लिए एक योजना बनाएँ। उस योजना में, वादी 1 की अपने एल. आर. द्वारा मृत्यु हो गई थी और

प्रतिवादी को प्रबंधन में समान अधिकार दिए जाएँ। यदि वे एक-दूसरे के साथ सहयोग करने में सक्षम नहीं हैं, तो उन्हें छह महीने या एक वर्ष की वैकल्पिक अवधि में ऐसे विशेष अधिकार दिए जा सकते हैं। यह योजना वादी 1 के उत्तराधिकारी और प्रतिवादी को प्रबंधन के लिए नामित करने का अधिकार भी प्रदान कर सकती है।

मंदिर से। हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि मंदिर की गुम हुई वस्तुओं के संबंध में प्रतिवादी के खिलाफ निचली अदालत द्वारा दिए गए निर्देशों को अबाधित रखा गया है और

प्रतिवादी को सभी वस्तुओं को मंदिर में पुनर्स्थापित करने के लिए कहा जाएगा। अदालत इस बात का भी ध्यान रखेगी कि मंदिर परिसर या उससे संबंधित कोई अन्य इमारत ऐसी न हो।

इसका उपयोग पक्षों या उनके संबंधों के निजी उपयोग के लिए किया जाता है। ये केवल कुछ सुझाव हैं। जिला न्यायाधीश एक उचित योजना तैयार करते समय अन्य पहलुओं पर भी विचार करेंगे। यह योजना छह महीने के भीतर तैयार की जाएगी।

इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से।

36. उच्च न्यायालय और/या इस न्यायालय में दलीलों में किए गए कथनों के बावजूद, यह स्पष्ट है कि चितई गोलू देवता मंदिर के प्रबंधन को लेकर पंत परिवार के सदस्यों के बीच अंतर-विवाद हैं। मंदिर प्रबंधन समिति के गठन से पहले, चीताई गोलू देवता मंदिर के गैर-धार्मिक मामलों, जैसे मंदिर का रखरखाव, रखरखाव, स्वच्छता आदि की देखभाल भी पंत परिवार के सदस्यों द्वारा की जाती थी। तीर्थयात्रियों से प्राप्त दान का उपयोग कथित तौर पर पंत परिवार द्वारा अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए किया गया था न कि मंदिर में सुविधाओं में सुधार के लिए। यह भी तर्क दिया गया कि अपीलार्थी मंदिर के बगल में एक विवाह कक्ष का मालिक है और चलाता है और एक दुकान भी चलाता है। इसलिए, अपीलार्थी को किसी भी वित्तीय कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा है।

2] 18 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

37. विवादित आदेश पारित करते हुए डिवीजन बेंच ने ध्यान दिया

निम्नलिखित कारकों सेः

((i)

राज्य का तर्क कि खतौनी के अनुसार

फसली वर्ष 1411-1416, कि चिताई में गोलू देवता मंदिर द्वारा कब्जा की गई भूमि को राजस्व अभिलेखों में गैर जेड. ए. खतौनी श्रेणी 10 (2) के रूप में दर्ज किया गया था, जो है

सरकारी भूमि;

((ख)

शेबेट अधिकारों के संबंध में एक गंभीर विवाद था जो लोग मंदिर के संबंध में पूजा करते हैं। क्या प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ Nos.7

10 वैध या वास्तविक दस्तावेज थे, जिनका एक उपयुक्त सिविल न्यायालय में परीक्षण और साबित करना होगा।

भक्तों की संख्या के परिमाण को नजरअंदाज कर दिया जाता है।

(11)

यह मंदिर एक प्राचीन मंदिर है। जनता की भावनाएँ

शामिल हैं।

38. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि राज्य को सरकारी भूमि पर स्थित मंदिर के गैर-धार्मिक मामलों को नियंत्रित करने का अधिकार है और

39. यह अपीलार्थी का तर्क है कि मंदिर के वंशज/संस्थापक को मंदिर का प्रबंधन करने का अधिकार है। लेकिन जब प्रार्थना की जाती है पीढ़ियों से संचालित किए जा रहे हैं और परिवार की कई शाखाएँ हैं, परिवार के सदस्यों के बीच विवादों को एक दीवानी मुकदमे की संस्था द्वारा निपटाया जाना है। उच्च न्यायालय ने ठीक ही अभिनिर्धारित किया कि जो लोग किसी भी अधिकार, अधिकार या किसी भी अधिकार का दावा करते हैं, जिसमें शामिल होंगे -

अपीलार्थी, मुकदमा दायर कर सकता है। अपीलार्थी के हितों की रक्षा की जाती है।

40. अपीलार्थी की ओर से श्री गुप्ता ने प्रस्तुत किया कि जब एक मूर्ति स्थापित की जाती है और एक मंदिर का निर्माण किया जाता है, तो संरक्षकता संस्थापक में निहित होती है और जब तक कि संस्थापक स्वयं एक विशेष तरीके से संरक्षकता का निपटान नहीं करता है, या कुछ उपयोग या प्रथा या परिस्थिति अलग तरीके से

दिखाई नहीं देती है, तब तक उत्तराधिकारीता संस्थापक से विरासत की रेखा का पालन करती है; और यह उत्तराधिकार का एक नया नियम निर्धारित करने या उत्तराधिकार के नियम को बदलने के लिए न्यायालय के लिए खुला नहीं है। श्री गुप्ता ने अपने समर्पण के समर्थन में श्री मार्तण्ड वर्मा आन्र का हवाला दिया। वी. केरल राज्य & Ors.[3]।

3 (2021) 1 एस. सी. सी. 225 संध्या पंत बनाम।

दीपाक रुवाली और ओआरएस। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

41. मार्तण्ड वर्मा (ऊपर) में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" 152. इस रुख के अनुरूप कि मंदिर एक सार्वजनिक है

यह कि किसी भी स्तर पर कोई पारिश्रमिक अतीत में प्राप्त नहीं किया गया था या भविष्य में इसका उद्देश्य नहीं होगा, राज्य की ओर से दायर हलफनामे के जवाब के जवाब में एक नोट के रूप में अपीलार्थियों की ओर से एक सुझाव दिया गया था। उक्त नोट में, जो पैरा 64 में विस्तार से दिया गया है।

इसके अलावा, अपीलकर्ताओं ने एक प्रशासनिक समिति और एक सलाहकार समिति के गठन का सुझाव दिया है। मोटे तौर पर, यह सुझाव दिया जाता है कि प्रशासनिक समिति

पांच सदस्यों से गठित, अध्यक्ष केरल सरकार के सचिव के पद के एक सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं; अन्य चार

सदस्य इस प्रकार हैंः ((i) न्यासी का नामित व्यक्ति;

((ख) मंदिर की मुख्य तंत्री;

((ग) केरल सरकार द्वारा नामित व्यक्ति; और

((iv) भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा नामित किया जाने वाला सदस्य।

नोट के पैरा 8 के संदर्भ में, न्यासी जिसे मंदिर का प्रबंधक या संरक्षक कहा जाता है, सलाहकार समिति द्वारा दी गई सलाह से निर्देशित होगा। 153. दूसरी ओर, राज्य की ओर से दिया गया सुझाव वैधानिक रूप से अधिनियमित मॉडल का पालन करना है।

गुरुवायूर देवस्वोम, और इस प्रकार प्रबंध समिति में आठ सदस्य होंगे जिनमें दो पदेन सदस्य होंगे, अर्थात् पद्मनाभदास और वरिष्ठ तंत्री; जबकि अन्य छह सदस्यों को हिंदुओं द्वारा मंत्रिपरिषद में नामित किया जाएगा; उनमें से एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सदस्य होगा, जबकि एक महिला होगी, और दूसरा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि होगा। मंदिर के कर्मचारी।

***

157. के संबंध में टी. सी. अधिनियम के प्रावधान मंदिर का प्रशासन स्पष्ट हैः

157.1 . धारा 18 (2) के तहत प्रशासन का संचालन किया जाएगा। त्रावणकोर के शासक के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन, उनके द्वारा नियुक्त एक कार्यकारी अधिकारी द्वारा।

157.2 . " श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर समिति

धारा 20 के अनुसार त्रावणकोर के शासक द्वारा नामित तीन सदस्यों से मिलकर त्रावणकोर के शासक को अपने कार्यों के निर्वहन में सलाह दी जाती है।

158. इस प्रकार कानून ने नियुक्त करने की शक्ति निहित की है

त्रावणकोर के शासक में कार्यकारी अधिकारी और सलाहकार समिति का गठन। नोट में, अपीलकर्ताओं ने कहा हैः

158.1 . " न्यासी अपनी शक्तियों को सौंप देगा -

धारा 18 (2) के तहत प्रशासनिक समिति को प्रशासन जो मंदिर का प्रशासन एक समिति द्वारा नियुक्त कार्यकारी अधिकारी "।

158.2 . सभी नीतिगत मामलों में न्यासी को सलाहकार समिति की सलाह से निर्देशित किया जाएगा।

159. प्रतिद्वंद्वी को अपना चिंतित ध्यान देने के बाद

परिवार के साथ मंदिर का पालन-पोषण जारी है। जहां तक टी. सी. अधिनियम के भाग I के अध्याय III द्वारा त्रावणकोर के शासक के हाथों में पूर्ण रूप से विचार किए गए प्रशासन का सवाल है, अपीलार्थियों द्वारा अब सुझाया गया मार्ग काफी संतुलित है। प्रशासनिक संरचना जैसा कि सुझाव दिया गया है कि समिति व्यापक आधार वाली है और इसे न्यासी के पक्ष या विपक्ष में नहीं रखा जाएगा। हालांकि,

इस तथ्य पर विचार करते हुए कि जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली वर्तमान अंतरिम प्रशासनिक समिति पिछले पांच वर्षों से अधिक समय से विचाराधीन है, और समिति के अध्यक्षों के रूप में विभिन्न जिला न्यायाधीशों ने खुद को काफी अच्छी तरह से संचालित किया है, हमारे विचार में, अपीलकर्ताओं द्वारा अपने नोट में सुझाए गए प्रशासनिक समिति में एक मामूली बदलाव की आवश्यकता है। संध्या पंत बनाम के रूप में केरल सरकार के सचिव के पद के एक सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी के बजाय।

दीपाक रुवाली और ओआरएस। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

160. इसलिए हम अपीलार्थियों द्वारा अपने नोट में दिए गए सुझावों को स्वीकार करते हैं जो संविधान के गठन के संबंध में इसके ऊपर पैरा 64 में विस्तार से दिए गए हैं। प्रशासनिक समिति और सलाहकार समिति प्रशासनिक समिति के अध्यक्ष के संबंध में संशोधन के अधीन, जैसा कि पूर्ववर्ती में कहा गया है।

अनुच्छेद। अपीलार्थी 1 इस निर्णय के चार सप्ताह के भीतर नोट के पैरा 1 के संदर्भ में वचन का एक उपयुक्त शपथ पत्र दाखिल करेगा और इस प्रकार के संशोधन के लिए भी सहमत होगाः

ऊपर बताया गया है। इस प्रकार दाखिल किए गए वचन का शपथ पत्र अपीलार्थी 1 और उसके सभी उत्तराधिकारियों के लिए बाध्यकारी होगा।

***

162. अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत नोट के संदर्भ में, की धारा 18 (2) के तहत "त्रावणकोर के शासक" की शक्तियाँ

टी. सी. अधिनियम प्रशासनिक समिति को सौंपा जाएगा जबकि सलाहकार समिति को टी. सी. अधिनियम की धारा 20 के अनुसार गठित समिति माना जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी सदस्यों सहित

प्रशासनिक समिति और सलाहकार समिति के अध्यक्ष हिंदू होने चाहिए और टी. सी. अधिनियम की धारा 2 (ए. ए.) की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। इस न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों के संदर्भ में गठित अन्य सभी समितियाँ चार महीने तक जारी रहेंगी और यह सलाहकार समिति पर निर्भर करेगा कि वह इस बात पर विचार करे कि उन समितियों की सेवाओं की आवश्यकता है या नहीं। यह भी कहा जाना चाहिए कि राज्य द्वारा तैनात वर्तमान सुरक्षा व्यवस्थाएँ

सरकार बनी रहेगी, लेकिन उस ओर से होने वाला खर्च मंदिर द्वारा वहन किया जाएगा।

2] 18 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

42. तिरुवनंतपुरम में पद्मनाभस्वामी मंदिर के प्रबंधन के पारंपरिक तरीके और तरीके में अंतर है। जिनके संबंध में प्रबंधन का अधिकार त्रावणकोर के शासक और चितई गोलू देवता मंदिर के पास निहित है जो

अपीलार्थी और प्रत्यर्थी। जो भी हो, पद्मनाभस्वामी मंदिर के मामले में भी, न्यायालय ने अपने आदेश के अनुसार गठित मंदिर समिति को इसके प्रबंधन की सभी शक्तियों के साथ निहित किया। त्रावणकोर के शासक।

43. तत्काल मामले में, यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि पंत परिवार के कौन से उत्तराधिकारी चिताई के संबंध में वंशानुगत अधिकार के हकदार हैं। गोलू देवता मंदिर और इस संबंध में पंत परिवार के सदस्यों के बीच विवाद प्रतीत होते हैं।

44. गुरुवायूर देवस्वम प्रबंधन में निर्णय

समिति और एक अन्य वी। श्री गुप्ता द्वारा उद्धृत सी. के. राजन और अन्य 4 को गुरुवायूर मंदिर के मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में प्रस्तुत किया गया था। इस मामले में, अदालत ने कहाः

" 56. हाथ में मामला किसी में नहीं आता है

उपरोक्त श्रेणियाँ, जहाँ एक पी. आई. एल. पर विचार किया जा सकता है। 57. कोई सूचित निर्णय भी हमारे ध्यान में नहीं लाया गया है जहां एक जनहित याचिका पर विचार किया गया था।

बात है।

58. हमें अब तक ऐसा कोई मामला भी नहीं मिला है जिसमें वैधानिक अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को अदालत द्वारा वैधानिक शक्ति के दुरूपयोग पर निर्देश जारी करके निरर्थक बना दिया गया हो। एक व्यक्ति का अधिकार

किसी विशेष धार्मिक संप्रदाय से संबंधित हो सकता है

कभी-कभी भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन होता है। केवल वहाँ से किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है राज्य द्वारा उल्लंघन किए जाने पर उसके संबंध में कोई कार्रवाई हो सकती है -

न्यायसंगत है। मौलिक अधिकारों के अलावा कोई भी अधिकार

भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 में निहित या तो किसी क़ानून से या प्रथागत कानूनों से आ सकता है। निर्विवाद रूप से, एक भक्त के पास उच्च न्यायालय के समक्ष कार्रवाई शुरू करने का कारण होगा जब वैधानिक कानून के तहत उसके अधिकार का उल्लंघन किया जाता है। उसके पास कारण से कार्रवाई का कारण भी हो सकता है।

4 (2003) 7 एस. सी. सी. 546 संध्या पंत बनाम।

दीपाक रुवाली और ओआरएस। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

राज्य या सांविधिक प्राधिकारी की ओर से कार्रवाई या निष्क्रियता; एक उचित आदेश पारित करने की आवश्यकता है या उच्च न्यायालय द्वारा एक निर्देश जारी करने की आवश्यकता है। कुछ मामलों में, एक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत क्षमता में दुखी महसूस कर सकता है, लेकिन बड़े पैमाने पर जनता ऐसा नहीं कर सकती है। 59. यह सामान्य बात है, जहां जनता का एक वर्ग इस उद्देश्य में रुचि नहीं रखता है, एक जनहित याचिका पर आम तौर पर विचार नहीं किया जाएगा।

60. यह तर्क दिया जा सकता है कि सामान्य रूप से हिंदू और विशेष रूप से मंदिर में आने वाले भक्त वैधानिक कार्यकर्ताओं के हाथों मंदिर के उचित प्रबंधन में रुचि रखते हैं। ऐसा हो सकता है लेकिन यह अधिनियम एक स्व-निहित संहिता है। अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों में कर्तव्य और कार्य निर्धारित किए गए हैं। मंच बनाए गए हैं

इसके तहत प्रभावित व्यक्तियों की शिकायतों को दूर करने के लिए। सामान्यतः, इसलिए, ऐसे मंचों को स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

पहले मामले में। राज्य को पीड़ित भक्तों की शिकायतों पर गौर करने के लिए कहा जाना चाहिए, माता-पिता के रूप में और अपने वैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन में भी।

63. उच्च न्यायालय को केवल क़ानून को बदलने, नजरअंदाज करने या दरकिनार करने के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। उच्च न्यायालय ने एक प्रशासक के लिए कोई मजबूत और ठोस कारण नहीं दिखाया है कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी किसी पद पर बने रहना। दिनांक 1 के आदेशों से यह प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने बिना ठोस और पर्याप्त कारण के प्रशासक को अनुमति दी

पद पर बने रहने के लिए, हालांकि उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था और उन्हें कहीं और तैनात किया गया था। उन्हें अधिनियम की धारा 17 से अधिक व्यापक शक्तियां भी प्रदान नहीं की जा सकती थीं। उच्च न्यायालय ने

5 आई. ए. एस. अधिकारियों के नाम न्यायालय को प्रस्तुत करने के लिए सरकार से आह्वान करके अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए आयुक्त की नियुक्ति की शक्ति को अपने हाथ में ले लिया ताकि वह इन अधिकारियों की नियुक्ति की शक्ति का प्रयोग कर सके -

आयुक्त "।

45. गुरुवायूर मंदिर, जो वायूर देवस्वोम अधिनियम, 1978 के तहत गठित वायूर देवस्वोम प्रबंधन समिति द्वारा शासित था, के विपरीत, हिताई गोलू देवता मंदिर को नियंत्रित करने वाला कोई विशिष्ट कानून नहीं है।

46. हमारे सुविचारित विचार में, उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश पारित करने में त्रुटि की है। एकमात्र प्रश्न

निर्णय और आदेश को लागू करने के लिए अपीलार्थी के आवेदन का निर्णय करने वाले की अनुपस्थिति में आदेश पारित किया जाना चाहिए था, ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि न्यायालय का कोई भी व्यक्ति

पक्षकार के रूप में जोड़े बिना भी, अपीलार्थी उपस्थित हो सकता था और अधीनता को चुना जा सकता था। अपीलार्थी के प्रत्यर्थी सहित पंत परिवार के किसी भी मामले में मंदिर समिति में थे, जिसके उपाध्यक्ष होने के लिए विधिवत एक अवसर दिया गया था जो निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं था।

47. तदनुसार, अपीलों को खारिज कर दिया जाता है।

निधि जैन